

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय : उप वन संरक्षक, कैथल वन मण्डल, कैथल

फायर ब्रिगेड के सामने, नजदीक पेड़वा चौक, कैथल-136027, फोन व फैक्स 01746-228095

E-mail - dfo.ktl-hry@nic.in

क्रमांक :- 2040

दिनांक :- 04/02/22

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परि०,
हरियाणा, अम्बाला।

विषय :-

Diversion of 0.5853 Ha. of Forest Land for Laying of RCC NP2 Pipeline of 1000 mm dia in the length of 9000 Feet along Habri to Sirsal Road, Right Side in Habri Village, Tehsil & District Kaithal (Haryana), under Forest Division & Distt. Kaithal, (Haryana). FP/HR/Pipeline/148416/2021.

संदर्भ :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ०सी०ए०), हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय का पत्र क्रमांक 6057-58 दिनांक 10/01/2022 व क्रमांक एन०टी०/6323-24 दिनांक 25/01/2022 तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1923 दिनांक 17/01/2022, के निरन्तर में।

:-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (volume-I) दिनांक 06/01/2022 द्वारा संशोधित/निर्धारित एन०पी०वी० की दरों के अनुसार एन०पी०वी० राशि की गणना करके बकाया एन०पी०वी० की राशि भी सम्बन्धित विभाग/यूजर एजेंन्सी से जमा करवाने बारे निर्देश दिए गए हैं।

अतः उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (volume-I) दिनांक 06/01/2022 द्वारा संशोधित/निर्धारित एन०पी०वी० की दरों के अनुसार प्रस्ताव से सम्बन्धित नई एन०पी०वी० की राशि 7,94,316/-₹ बनती है। अब नई एन०पी०वी० की राशि सहित कुल 50,70,109/-₹ की राशि सम्बन्धी यूजर एजेंन्सी से जमा करवाई जाएगी।

अतः नई/रिवाईजड सी०ए० स्कीम साथ संलग्न आपकी सेवा में भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि प्रस्ताव में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने की अनुकम्या करें।
संलग्न/उपरोक्त।

पृ० क्रमांक :- 2041-42
एक प्रति :-

दिनांक :- 04/02/22

उप वन संरक्षक,
कैथल।

04/02/22

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ०सी०ए०), हरियाणा, पंचकूला को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 6057-58 दिनांक 10/01/2022 व क्रमांक एन०टी०/6323-24 दिनांक 25/01/2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, मूडरी को इस कार्यालय के पत्र पृ० क्रमांक 1924-25 दिनांक 17/01/2022 के संदर्भ में भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि भारत सरकार से केस स्वीकृत होने तक प्रभावित वन क्षेत्र में कोई कार्य न करने दिया जाए।

उप वन संरक्षक,
कैथल।

04/02/22